संख्या-13/2026/270 /001-53-2099-1166-2019

प्रेषक,

राम सहाय यादव,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,

दुग्धशाला विकास,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**दुग्ध विकास अनुभाग-2** **लखनऊ : दिनांक 23-04-2026**

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत निदेशन तथा प्रशासन मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-25/वित्त संभाग-3/बजट/2026-27, दिनांक 16 अप्रैल, 2026 के सम्बन्ध में सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2404-डेरी विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनाएं में प्राविधानित धनराशि रू0 4172.67 लाख (रूपये इकतालीस करोड़ बहत्तर लाख सड़सठ हजार मात्र) के व्यय किये जाने हेतु प्रस्तर-2 में उल्लिखित सारणी के मानक मदों में उनके सम्मुख अंकित धनराशि आपके निवर्तन पर निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

**नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध**

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों/समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। धनराशि का व्यय निर्धारित प्रक्रिया एवं सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त ही किया जाये।

(2) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का निर्धारित मानक मदों में व्ययोपरान्त मदवार उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2404000010300 (सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें)

| क्र0 | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | प्रस्तावित धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 016 | 2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें | 01 वेतन | 23,33,98,000 ( रुपये तेईस करोड़ तैंतीस लाख अट्ठानबे हजार मात्र ) |
| 2 | 016 | 2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें | 03 मंहगाई भत्ता | 15,17,09,000 ( रुपये पन्द्रह करोड़ सत्रह लाख नौ हजार मात्र ) |
| 3 | 016 | 2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें | 04 यात्रा व्यय | 10,00,000 ( रुपये दस लाख मात्र ) |
| 4 | 016 | 2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें | 05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 8,00,000 ( रुपये आठ लाख मात्र ) |
| 5 | 016 | 2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें | 06 अन्य भत्ते | 1,00,000 ( रुपये एक लाख मात्र ) |
| 6 | 016 | 2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें | 08 कार्यालय व्यय | 8,00,000 ( रुपये आठ लाख मात्र ) |
| 7 | 016 | 2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें | 09 विद्युत देय | 5,00,000 ( रुपये पाँच लाख मात्र ) |
| 8 | 016 | 2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें | 10 जलकर/जल प्रभार | 1,00,000 ( रुपये एक लाख मात्र ) |
| 9 | 016 | 2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें | 11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 3,00,000 ( रुपये तीन लाख मात्र ) |
| 10 | 016 | 2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई | 12 कार्यालय फर्नीचर | 5,00,000 ( रुपये पाँच लाख मात्र ) |

http://shasanadesh.up.gov...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | योजनायें | एवं उपकरण | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 016 | 2404000010300<br>सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें | 13<br>टेलीफोन पर व्यय | 2,00,000<br>( रुपये दो लाख मात्र ) |
| 12 | 016 | 2404000010300<br>सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें | 15<br>गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 10,00,000<br>( रुपये दस लाख मात्र ) |
| 13 | 016 | 2404000010300<br>सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें | 16<br>व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 10,00,000<br>( रुपये दस लाख मात्र ) |
| 14 | 016 | 2404000010300<br>सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें | 17<br>किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व | 16,00,000<br>( रुपये सोलह लाख मात्र ) |
| 15 | 016 | 2404000010300<br>सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें | 18<br>प्रकाशन | 1,00,000<br>( रुपये एक लाख मात्र ) |
| 16 | 016 | 2404000010300<br>सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें | 42<br>अन्य व्यय | 10,000<br>( रुपये दस हजार मात्र ) |
| 17 | 016 | 2404000010300<br>सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें | 44<br>प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 2,50,000<br>( रुपये दो लाख पचास हजार मात्र ) |
| 18 | 016 | 2404000010300<br>सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें | 45<br>अवकाश यात्रा व्यय | 1,00,000<br>( रुपये एक लाख मात्र ) |
| 19 | 016 | 2404000010300<br>सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें | 46<br>कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 2,00,000<br>( रुपये दो लाख मात्र ) |
| 20 | 016 | 2404000010300<br>सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें | 47<br>कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 5,00,000<br>( रुपये पाँच लाख मात्र ) |
| 21 | 016 | 2404000010300<br>सहकारी दुग्ध सप्लाई | 49<br>चिकित्सा व्यय | 65,00,000<br>( रुपये पैंसठ लाख मात्र ) |

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | योजनायें | | |
| *22* | 016 | 2404000010300<br>सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें | 51<br>वर्दी व्यय | 1,00,000<br>( रुपये एक लाख मात्र ) |
| *23* | 016 | 2404000010300<br>सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें | 55<br>मकान किराया भत्ता | 1,50,00,000<br>( रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र ) |
| *24* | 016 | 2404000010300<br>सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें | 58<br>आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 15,00,000<br>( रुपये पन्द्रह लाख मात्र ) |
| | | **कुल** | 41,72,67,000<br>( रुपये इकतालीस करोड़ बहत्तर लाख सड़सठ हजार मात्र ) | |
| | | **महायोग** | 41,72,67,000<br>(रुपये इकतालीस करोड़ बहत्तर लाख सड़सठ हजार मात्र) | |

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राम सहाय यादव

विशेष सचिव।

संख्या-13/2026/270(1)/001-53-2099-1166-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/प्रयागराज।

3- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0।

4- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।

6- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

7- आहरण एवं वितरण अधिकारी, कार्यालय दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेवसाईट पर प्रदर्शित करें।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रामबूझ

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।